

FROM No.III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक डायक्टर एवं S.D.O. मुकाम बाघत

जेठाराम बनाम सवाईराम कर्ण

किस्म मुकदमा राजस्थान 111,128 MRAET 199/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/07/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुम्भारि चोपरा</u> ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 MRAET</u> राजस्थान काश्तकारी/भू रोजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/08/2021</u> को पेश हो।	
04/08/21	<u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी</u> गणों के नोटिस तामिल मसम तामिल किया। बीमान पीछानी अधिकारी डा पु रिक्त होने से मिशाल इलवा डॉक्टर कर्णानी दिनांक 07/09/2021 को पेश हो।	<p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (S.D.O) बाघत</p>
07/09/21	<u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी</u> नोटिस तामिल मसम तामिल किया। इलवा डॉक्टर पत्रावली दिनांक 02/10/21 को पेश हो।	<p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (S.D.O) बाघत</p>




02/10/2021

पत्रावली आज केंप में ग्राम पंचायत

सर्विस

लाभतु प्रोपजी में शही गई प्राची वकील उपस्थित।
 विप्राचीगणों के मोरि तामिल इदम तामिल इप्रात।
 प्राची के इहिवगता इस की एकपक्षि वदम सुरी
 गई, प्राची के इहिवगता दरा वताप्रा की प्राची व
 विप्राचीगणों की खातेदारी शुमि सेठ-सेठ आई हुई है।
 प्राची व विप्राचीगणों के खातेदारी खेत सेठ सेठ
 आये हुई है। प्राची व विप्राचीगणों के खातेदारी खेत
 सेठों के मध्य जो पुरानी गाठ व गुणे आये हुए थे जो
 वर्तमान में झांझियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे
 प्राची व विप्राचीगणों के मध्य हमेशा खेत के सेठों
 को लेकर तनाव बना रहता है प्राची को अपने
 खेत के सेठों का सही ज्ञान करने हेतु नेखमवनी
 करवारी आवश्यक है इसलिए नेखमवनी आवेदन स्वीकार
 किया जाकर नेखमवनी आदेश दिया जावे।

ज्ञात: प्राची का नेखमवनी आवेदन स्वीकार
 किया जाकर तहसीलदार लाभतु को कमिश्नर व
 सम्बन्धित शु. अभिलेख निबिडाक को सहायक
 कमिश्नर निष्ठा किया जाकर आदेश दिया जाते हैं
 कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्राची के
 खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवनी जोके पर
 कमिश्नर अलक जमा कराकर दोनों पत्रों के सबूत करें।
 फीलना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, ~~इ~~
 पत्रावली फीलना शुगर एंकर दर्ज नम्बर से कम हो,
 दखिल दफतर ले।


 सहायक कलक्टर
 (SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/ 1256
प्रार्थी बनाम

दिनांक:-02/10/2021
विप्रार्थीगण

1. जेताराम पुत्र आदुराम
जाति राईका निवासी बायतु भोपजी
तह. बायतु जिला बाड़मेर


1. सवाईराम पुत्र पदमाराम वगैरा जाति राईका
निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला
बाड़मेर वगैरा 16
(विप्रार्थीगणों की सूची संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 199/2021

आदेश

मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी भू अभिलेख निरीक्षक बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1236/351 रकबा 1.0193 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भू. अ. नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी की पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/ 1257 + 061
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-02/10/2021

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेताराम पुत्र आदुराम
4. विप्रार्थी श्री सवाईराम पुत्र पदमाराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु